रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 351] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 5, 1984/भाद्र 14, 1906
No. 351] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPT. 5, 1984/BHADRA 14, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1984

सं. 197/84-केन्द्रीय उत्पाद

सा. का. नि. 645(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 6 के अन्तर्गत आने वाले कच्चे नैप्था को, तब जब उसका उपयोग भारतीय खाद निगम की तलचर यूनिट पर गैस टरबाईन को चलाने के लिए ईंधन के रूप में आशयित हो, उक्त अधिनियम की उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उस उद्ग्रहणीय शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर प्रति किलो लीटर पांच सौ पच्चीस रुपए की दर से संगणित रकम से अधिक हो ;

परन्तु यह तब जब—

(1) सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर को समाधानप्रद रूप से यह साबित हो जाता है कि ऐसे कच्चे नैप्था का इस प्रकार से उपयोग किया गया है, और

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपबन्धित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है ।

2. यह अधिसूचना तारीख 4 सितम्बर, 1986 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी ।

[फा. सं. 83/4/84-सी. एक्स.-3]

सी. माथुर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 1984

NO. 197/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 645(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts raw naphtha, falling under Item No. 6 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said first Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of Rupees five hundred and twenty-five per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer, when intended for use as

fuel for running the gas turbine at the Talchar Unit of the Fertilizer Corporation of India :

Provided that—

(i) it is proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise that such raw naphtha has been so used; and

(ii) the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

2. This Notification shall remain in force upto and inclusive of the 4th day of September, 1986.

[F. No. 83|4|84-CX.3]
C. MATHUR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, KING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984